डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीणा ,आर.ए.एस

रूकमणि बनाम गिर्राज वगै0

दावा बाबत् 88, 89, 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 144/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दइ व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादिया का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर मृतक खातेदार गिर्राज प्रसाद की पैतृक आराजी में दान पत्र के पश्चात् शेष भूमि खाता संख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 (3875 वर्गमीटर) कुल किता 3 रकबा 1.06 है0 में वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 3/35 – 3/35 प्रत्येक हिस्से का तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 3/70 –3/70 प्रत्येक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

साथ ही खाता सख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 549/0.09, 900/0.24, 901/0.23, 933/0.33, 1239/0.85, 1240/1.25, 934/0.75 (3625 वर्गमीटर) किता 08 रकबा 3.45 में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 1/10 – 1/10 प्रत्येक हिस्से का तथा खाता संख्या 25 के आराजी खसरा नं. 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 1/20 – 1/20 प्रत्येक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

बैज – मुबलिग – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद द शरह ————फीसदी सालाना आज की तारीख सं तरीख व सुलयाबी तक ———— की अदा करें ।

द दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख ....20.8.24.......... को जारी की गई ।

दस्तखत——[signature] 20/8/24

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय		
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1. रूकमणि पुत्री गिर्राज पत्नि चेतराम जाति हेवासी निवासी मनोहरपुर तहसील नदबई

वादिनी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र खूबीराम (फोत)
2. मनोज पुत्र गोपाल
3. विश्वेन्द्र पुत्र लक्ष्मण
4. सुरेशचंद पुत्र लक्ष्मण

} जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास तह0 नदबई

असल

प्रतिवादीगण

5. लक्ष्मण
6. गोपाल
7. श्यामसुन्दर
8. गोविन्दराम
9. दयाली

} पि0 गिर्राज जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास तह0 नदबई

10. रामदेई पत्नि गिर्राज
11. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
12. पी.एन.बी. बरौलीछार जरिये शाखा प्रबंधक

त. प्रतिवादीगण

20/8/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीणा R.A.S.)

प्रकरण सं. 144/2013
जीसीएमएस न. 2013/00096
किस्म दावा 88,89 ,53,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 20.08.24

1. रूकमणि पुत्री गिर्राज पत्नि चेतराम जाति हेवासी निवासी मनोहरपुर तहसील नदबई

वादिनी

बनाम

1. गिर्राज पुत्र खूबीराम (फोत)
2. मनोज पुत्र गोपाल
3. विश्वेन्द्र पुत्र लक्ष्मण
4. सुरेशचंद पुत्र लक्ष्मण

} जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास तह0 नदबई

असल प्रतिवादीगण

5. लक्ष्मण
6. गोपाल
7. श्यामसुन्दर
8. गोविन्दराम
9. दयाली

} पि0 गिर्राज जाति ब्राहम्ण निवासी नयावास तह0 नदबई

10. रामदेई पत्नि गिर्राज
11. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
12. पी.एन.बी. बरौलीछार जरिये शाखा प्रबंधक

त. प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 ,53,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री फूलसिंह वादिनी अधिवक्ता
2. श्री राधेश्याम वादिनी अधिवक्ता
3. श्री रघुवीरशरण प्रतिवादी अधिवक्ता

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

:: निर्णय ::

वादीया द्वारा यह दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 533/0.42, 536/0.25, 549/0.09, 900/0.24, 901/0.23, 933/0.33, 934/0.75, 1239/0.85, 1240/1.25 किता 10 सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 25 के आराजी खसरा नं. 84/0.30, 86/0.51, 94/0.08, 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 937/0.18, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 24 कुल रकबा 9.85 हिस्सा 1/2 बांके ग्राम नयावास तहसील नदबई मे स्थित है। जिसके प्रतिवादी संख्या 1 रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। वादिनी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 वादिनी, प्रतिवादीगण संख्या 5 ल. 9 का पिता है। व प्रतिवादी संख्या 10 का पति है। तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 4 प्रतिवादी संख्या 1 के नाती है। जो प्रतिवादी सं. 5 व 6 के पुत्र है। वर्णित आराजी वाद मद संख्या 2 वाद पत्र संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजी है। जो प्रतिवादी सं. 1 को वादिनी के बाबा खुशीराम से प्राप्त आराजी है। तथा वादिनी को संशोधित अधिनियम 2005 से अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 के जीवन में से अन्य वारिसान भाईयों सहित प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदारी अधिकार प्राप्त होते है। प्रश्नगत आराजी पर प्रतिवादी संख्या 1 के साथ त. प्रतिवादीगण संख्या 5 ल. 10 सहित वाहिस्सा बाराबर की खातेदारी काश्तकारी घोषित करा पाने के अधिकारिणी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रहे इन्द्राजात को कलम करा पाने के अधिकारी है। खाता संख्या 22 किता 10 कुल रकबा 4.51 है0 अपने हिस्से सम्पूर्ण से हिस्सा 2/5 तथा खाता संख्या 25 के किता 24 रकबा 9.85 हिस्सा 1/2 मे से 1/5 हिस्सा बांके ग्राम नयावास तहसील नदबई का दान पत्र दिनांक 15.05.13 को प्रतिवादीगण संख्या 2 लगा0 4 के हक में जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाती है। व प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के पुत्र है। निष्पादित करा दिया गया है। जबकि आराजी मुनाजा का बिना बॅटवारा किये प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त दान पत्र कराने का कोई कानूनी अधिकार हॉसिल नही है। प्रतिवादी संख्या 1 को अपने हिस्से से अधिक दान पत्र किये जाने का कोई अधिकार हांसिल नही है। व निरस्तीनीय है। उक्त दान पत्र के माध्यम से किसी भी हिस्से विशेष का कब्जा नहीं दिया गया है। और न ही प्राप्त केया गया है। जिहाजा उक्त दान पत्र वादिनी के खिलाफ शुन्य व निष्प्रभावी है। वादिनी प्रश्नगत आराजी पर अपने हिस्से के मुताबिक काबिज है व काश्त करती

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

20/8/24

Scanned with OKEN Scanner

चली आ रही है। लेकिन प्रतिवादी सख्या 1 के नाम हो रहे गलत इन्द्राज व उसके द्वारा किये गये दान पत्र दिनांक 15.05.2013 के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 4 ने आराजी मुतनाजा का दाखिला अपने नाम दर्ज कराकर बेदखल करने व दीगर व्यक्तियों को रहनवय मुन्तकिल करने की धमकी दिनांक 05.09.2013 को दी है। अगर प्रतिवादीगण अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादिनी को अजीम क्षति होगी। जिसकी पूर्ति नही हो सकेगी। अतः वादिनी को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ त. प्रतिवादी संख्या 5 लगा0 10 सहित व हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा दान पत्र दिनांक 15.05.2013 व हकवादिनी व प्रतिवादी सख्या 2 लगा0 4 वातिल वबेसर घोषित किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 6, 7, 10 प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष प्रतिवादी गण उपस्थित आये।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वादिनी अपने ससुराल मे रहती है इस वजह से विवादित आराजी पर काश्त करना संभव नही है। वादिनी का विवादित आराजी पर कब्जा व काश्त नही है। प्रतिवादी संख्या 1 वर्णित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजी का पूर्ण उपयोग व उपभोग व रहन, वय, मुन्तकिल करने का पूर्ण अधिकार है। जिसने अपनी स्वेच्छा से तथा अपने परिवार को सही तरह से बंटवारा करने के उद्येश्य से तथा सभी पुत्रों की सहमति से प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 को दानपत्र कर दिया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 काबिज होकर काश्त करते हुये चले आ रहे है तथा वादिनी का विवादित आराजी पर कभी भी कब्जा व काश्त नही रहा है तथा न ही वर्तमान में कब्जा व काश्त है। कब्जे के अभाव में दावा वादिनी काविले खारिज है।

वादिया ने साक्ष्य के रूप में स्वयं एवं हरदयाल पुत्र रामहरी निवासी मनोहरपुर तहसील नदबई की साक्ष्य पेश किये। तथा प्रदर्श –1 दानपत्र दिनांक 15.05.2013, प्रदर्श–2 जमाबंदी खाता संख्या 22 एवं 25 संवत 2066–2069, प्रदर्श 3 मिलान क्षेत्रफल संवत 2060, प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 2036 –2038, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2037–2039 प्रदर्श 6 2036–2038 के रूप में पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 5 एवं रमेश पुत्र मंगल निवासी नयावास की साक्ष्य पेश किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से प्रदर्श–1 जमाबंदी खाता संख्या 22, 25 संवत 2070–2073, प्रदर्श – 2, 3, 4 नामान्तरण संख्या 396 वाके ग्राम नयावास, प्रदर्श –4 डिकी माननीय न्यायालय उपजिलाधीश (भरतपुर) कैम्प नदबई डिकी दिनांक 30.01.1986, प्रदर्श –6 आदेश भूमि[illegible] मुकदमा नं0 15/86,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श –7 डिकी माननीय न्यायालय उपजिलाधीश (भरतपुर) कैम्प नदबई डिकी दिनांक 30.01.1986, प्रदर्श –8 आदेश भूमि आवंटन मुकदमा नं0 16/86 एव भू सम्परिवर्तन आदेश 2253–59 दिनांक 27.06.2005 आदि दस्तावेजात् पेश किये गये।

वाद पत्र का निस्तारण करने के लिये निम्नलिखित तनकीहात कायम की गयी।

1. आया विवादित आराजी में वादिनी कसो प्रति0 संख्या 1 के साथ व त. प्रति0 5 लगा0 10 सहित व हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे।
2. आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नही है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है।

वाद पत्र का तनकी वार विनिश्चय निम्न प्रकार से किया जाता है।

तनकी संख्या 1. आया विवादित आराजी में वादिनी कसो प्रति0 संख्या 1 के साथ व त. प्रति0 5 लगा0 10 सहित व हिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जावे।

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादिनी का है। वादिया ने अपने वाद पत्र में वर्णित आराजी को संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित आराजी माना है। जो प्रतिवादी सं. 1 को वादिनी के बाबा खुशीराम से प्राप्त होना बताया है। इसी आधार पर वादिया ने सम्पूर्ण आराजी में 1/7 हिस्से के खातेदारी अधिकार का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल खसरा संख्या 532/0.10, 549/0.09, 901/0. 23, 933/0.33, 1239/0.85, 1240/1.25 कुल किता 6 रकबा 2.85 है0 जिसके साबिक खसरा संख्या 439, 455, 756, 788, 1062, 1063 है। जिसका खातेदार गिर्राज पुत्र खुशीराम को जरिये डिक्री दिनांक 30.01.1986 न्यायालय उपजिलाधीश भरतपुर कैम्प नदबई से खातेदारी प्राप्त हुई थी। जो मृतक गिर्राज की स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 84/0.30, 86/0.51, 94/0.08, 900/0.24, 937/0.18, कुल किता 5 रकबा 1.31 है0 जिसके साबिक खसरा संख्या 6, 67, 74, 755, 791 है। जिसका खातेदार गिर्राज पुत्र खुशीराम को जरिये डिक्री नांक 30.01.1986 न्यायालय उपजिलाधीश भरतपुर कैम्प नदबई से खातेदारी प्राप्त हुई । जो मृतक गिर्राज की स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। उक्त भूमि को र्राज को विरासत से प्राप्त हुई भूमि नही माना जा सकता है। इस प्रकार खाता संख्या में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 कुल किता 3 रकबा 1.42 भूमि पैतृक आराजी है। तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0. 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0. 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0. 084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0. [illegible] किता 20 कुल रकबा 8.79 में /2 हिस्सा भूमि पैतृक आराजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

20/8/24

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

इसके पश्चात् मृतक खातेदार गिर्राज ने अपनी खातेदारी की खाता संख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 533/0.42, 536/0.25, 549/0.09, 900/0.24, 901/0.23, 933/0.33, 934/0.75, 1239/0.85, 1240/1.25 किता 10 सम्पूर्ण हिस्सा व खाता संख्या 25 के आराजी खसरा नं. 84/0.30, 86/0.51, 94/0.08, 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 937/0.18, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 24 कुल रकबा 9.85 हिस्सा 1/2 बांके ग्राम नयावास तहसील नदबई को मनोज कुमार पुत्र गोपाल हिस्सा 1/2 विश्वेन्द्र कुमार, सुरेश चंद पुत्र लक्ष्मण प्रसाद हिस्सा 1/2 वहिस्सा बराबर को दिनांक 15.06.2013 को रजिस्टर्ड दानपत्र प्रदर्श 1 द्वारा दान की जा चुकी है। रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर दान ग्रहिता के पक्ष में नामान्तरण खोला जाकर स्वीकार किया गया। और वर्तमान में दान ग्रहिता विवादित आराजी में सहखातेदार दर्ज है। चूकि दान ग्रहिता जनों के पक्ष में किया गया। रजिस्टर्ड दान पत्र है। जिसे निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। यदि वादिया को रजिस्टर्ड दान पत्र से किसी प्रकार की कोई आपत्ति थी। तो वह सक्षम न्यायालय में ही अन्दर मियाद रहकर कार्यवाही कर सकती थी। जबकि वादिया को उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र की पूर्व से ही जानकारी है। पैतृक आराजी में भी मृतक खातेदार गिर्राज प्रसाद अपने हिस्से तक आराजी का रहन विक्रय दान पत्र द्वारा हस्तानान्तरित करने के लिये स्वतंत्र था।

इस प्रकार खाता सख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 कुल किता 3 रकबा 1.42 है0 भूमि पैतृक आराजी होने एवं उसमे से 2/5 हिस्सा दान होने के कारण मात्र 0.85 है0 भूमि खातेदार मृतक गिर्राज पुत्र खुशीराम के द्वारा विरासतन छोडी गयी है। जिसमें से आराजी खसरा संख्या 934/0.75 मे से 3625 वर्गमीटर का भूमि रूपान्तरण हो चूका है। जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही हैं। इस प्रकार इस खाते में 0.49 है0 भूमि शेष रहती है। तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में से 1/2 हिस्सा भूमि पैतृक आराजी होने एवं उसमे से 2/5 हिस्सा दान होने के कारण मात्र 2.63 है0 भूमि खातेदार मृतक गिर्राज पुत्र खुशीराम के द्वारा विरासतन छोडी गयी है।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि मृतक खातेदार द्वारा स्वअर्जित आराजी तथा पैतृक आराजी में दान पत्र के पश्चात् शेष भूमि खाता संख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 कुल किता 3 रकबा 1.42 है0 में 3/5 हिस्से में तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

20/8/24
उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में 3/10 हिस्से में वादिया मृतक गिर्राज के वारिसान लक्ष्मण, गोपाल, श्यामसुन्दर, गोविन्दराम, दयाली एवं रामदेई (प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10) के साथ ही अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिया वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी को पैतृक सिद्ध कर पाने में आंशिक रूप से सफल रही है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

तनकी संख्या 02 आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नही है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है।

आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नही है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादिया को है। उक्त आराजी पर मुताबिक वादिया साक्ष्य व वादिया की ओर से हरदयाल पुत्र रामहरी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादिया का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है। ना ही कोई काश्त की है। चूकि प्रतिवादीगण का निवास स्थान नयावास में ही है। जबकि वादिया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय मनोहरपुर अंकित कर दिया गया था। जिसे बाद में नयावास संशोधित कर दिया गया है। कब्जा प्रमाणित किये जाने में वादिया असफल रही है। अतः तनकी वादिनी के विरूद्व तय की जाती है।

:: **आदेश** ::

अतः वादिया का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर मृतक खातेदार गिर्राज प्रसाद की पैतृक आराजी में दान पत्र के पश्चात् शेष भूमि खाता संख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 (3875 वर्गमीटर) कुल किता 3 रकबा 1.06 है0 में वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 3/35 – 3/35 प्रत्येक हिस्से का तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 3/70 –3/70 प्रत्येक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

साथ ही खाता सख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 549/0.09, 900/0.24, 901/0.23, 933/0.33, 1239/0.85, 1240/1.25, 934/0.75 (3625 वर्गमीटर) किता 08 रकबा [illegible] प्रतिवादी संख्या 5 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 38/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में 3/10 हिस्से में वादिया मृतक गिर्राज के वारिसान लक्ष्मण, गोपाल, श्यामसुन्दर, गोविन्दराम, दयाली एवं रामदेई (प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10) के साथ ही अपना हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिया वाद पत्र में वर्णित सम्पूर्ण आराजी को पैतृक सिद्ध कर पाने में आंशिक रूप से सफल रही है। इस प्रकार तनकी संख्या 01 आंशिक रूप से वादिया के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

तनकी संख्या 02 आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नही है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है।

आया विवादित आराजी पर वादिनी का कब्जा नही है। तथा गांव मनोहर पुर लिखाया है। जो गलत है। अतः दावा काबिल खारिजी है। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादिया को है। उक्त आराजी पर मुताबिक वादिया साक्ष्य व वादिया की ओर से हरदयाल पुत्र रामहरी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादिया का उक्त विवादित आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है। ना ही कोई काश्त की है। चूकि प्रतिवादीगण का निवास स्थान नयावास में ही है। जबकि वादिया द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करते समय मनोहरपुर अंकित कर दिया गया था। जिसे बाद में नयावास संशोधित कर दिया गया है। कब्जा प्रमाणित किये जाने में वादिया असफल रही है। अतः तनकी वादिनी के विरूद्ध तय की जाती है।

:: आदेश ::

अतः वादिया का वाद आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर मृतक खातेदार गिर्राज प्रसाद की पैतृक आराजी में दान पत्र के पश्चात् शेष भूमि खाता संख्या 22 में खसरा संख्या 533/0.42, 536/0.25 एवं 934/0.75 (3875 वर्गमीटर) कुल किता 3 रकबा 1.06 है0 में वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 3/35 – 3/35 प्रत्येक हिस्से का तथा खाता सख्या 25 में खसरा संख्या 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 3/70 –3/70 प्रत्येक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

साथ ही खाता सख्या 22 के आराजी खसरा नम्बर 532/0.10, 549/0.09, 900/0.24, 901/0.23, 933/0.33, 1239/0.85, 1240/1.25, 934/0.75 (3625 वर्गमीटर) किता 08 रकबा 3.45 में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 16:03:44 IST
Reason: SelfAttested

नदबई (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

10 को 1/10 – 1/10 प्रत्येक हिस्से का तथा खाता संख्या 25 के आराजी खसरा नं. 95/0.72, 462/0.89, 473/0.85, 528/0.15, 529/0.06, 530/0.14, 531/0.19, 534/0.89, 535/0.22, 545/0.12, 547/0.40, 548/0.37, 551/0.33, 552/0.47, 553/0.56, 565/0.53, 1084/0.34, 1333/0.71, 1338/0.45, 1347/0.39 किता 20 कुल रकबा 8.79 में प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 10 को 1/20 – 1/20 प्रत्येक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है।

वादिया का वादग्रस्त आराजी पर भौतिक रूप से कब्जा प्रमाणित नही होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89 ,53,188 के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना संभव नही है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.8.24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

20/8/24

(गंगाधर मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:03:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner